15.6.18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण एकतरफा
मोहनलाल	प्रतिवादीगण के अधिवक्ता का कथन कि मोहनलाल से ख.नं. 976, 981 पर कोई कब्जा काश्त नहीं है न ही इन कोई दखलंदाजी करते हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
चरनसिंह	दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है यदि कोई विवाद हो तो वादीगण विवादित आराजी की सीमा ज्ञात करने हेतु सीमाज्ञान आवश्यकता हो विस्तृत विधि पृथक से
पन्नीराम	आदेश अनुसार किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सुनाया।
गोपाल	SDOK

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/132/17

वउनवान

1. लक्ष्मणप्रसाद पुत्र छाजूराम जाति ब्राहमण निवासी गारू
2. हरप्रसाद पुत्र छाजूराम जाति ब्राहमण निवासी गारू
   तहसील कठूमर जिला अलवर

-----वादी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र धर्मी जाति माली निवासी गारू तह0 कठूमर
2. चरणसिंह पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी गारू तह0 कठूमर
3. पप्पी पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी गारू तह0 कठूमर
4. गोपाल पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी गारू तह0 कठूमर
   जिला अलवर (राज0)

-----प्रतिवादीगण

दावा हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :— श्री रामजीलाल शर्मा एडवोकेट — वकील वादीगण

निर्णय **दिनांक : 14.06.2018**

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 976 रकबा 0.51 है0 सालिम व खसरा नम्बर 981 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम गारू तहसील कठूमर में स्थित है। वादी विवादित आराजी में काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को खुलेआम धमकी दी है कि वे विवादित आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त करने नहीं देंगे, उपयोग एवं उपभोग करने नहीं देंगे। अतः वादीगण ने दावा डिक्री कर विवादित आराजी में प्रतिवादीगण को किसी किस्म की रूकावट एवं मजाहमत पैदा ना करे, जबरन बेदखल कब्जा ना करें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वादी ने अपने वाद पत्र के साथ जमाबन्दी संवत 2072—2075 पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली लोक अदालत कोर्ट कैम्प में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित हुए। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस सुनी गयी।

Scanned by CamScanner

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि विवादित आराजी वादीगण की तन्हा कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर तन्हा वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का किसी किस्म का सम्बन्ध व सरोकर नहीं है। प्रतिवादीगण ने लोक अदालत कैम्प में उपस्थित होकर बताया कि हमारा खसरा नम्बर 976,981 पर कोई कब्जा कास्त नहीं है न ही हम कोई दखलंदाजी करते है

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। मुताबिक जमाबंदी संवत 2072–2075 वाके ग्राम गारू खाता संख्या 673 पर विवादित आराजीयात वादीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकोर्ड है। जिस पर प्रतिवादीगण का अधिकार नहीं है। वाद वादी साबित होने से दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 976 रकबा 0.51 है0 सालिम व खसरा नम्बर 981 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम गारू तहसील कठूमर पर वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादी दखलअंदाजी नहीं करे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा ना करें, जबरन बेदखल कब्जा ना करें तथा ऐसा कोई कृत्य ना करे जिससे वादीगण के शांतिमय उपयोग एवं उपभोग में बाधा पैदा हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 14.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/129/17

वउनवान

1. लक्ष्मणप्रसाद पुत्र छाजूराम जाति ब्राहमण निवासी गारू
2. हरप्रसाद पुत्र छाजूराम जाति ब्राहमण निवासी गारू तहसील कठूमर जिला अलवर

-----वादी

बनाम

1 मोहनलाल पुत्र धर्मी जाति माली निवासी गारू तह0 कठूमर
2 चरणसिंह पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी गारू तह0 कठूमर
3 पप्पी पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी गारू तह0 कठूमर
4 गोपाल पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी गारू तह0 कठूमर जिला अलवर (राज0)

-----प्रतिवादीगण

दावा हुक्मइन्तनाई दवामी

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 976 रकबा 0.51 है0 सालिम व खसरा नम्बर 981 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम गारू तहसील कठूमर पर वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादी दखलअंदाजी नहीं करे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा ना करें, जबरन बेदखल कब्जा ना करें तथा ऐसा कोई कृत्य ना करे जिससे वादीगण के शांतिमय उपयोग एवं उपभोग में बाधा पैदा हो।

आज दिनांक 14.06.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर वो मुहर अदालत जारी की गई।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner